भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4126

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

एनएमडीएफसी के माध्यम से ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करना

4126. श्री बलभद्र माझी:

श्री अनूप संजय धोत्रेः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी के अंतर्गत संवितरित वित्तीय सहायता और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के अकोला जिले सहित राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सावधि ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए रियायती ऋण की उपलब्धता का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के अकोला जिले सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण वितरण तंत्र में सुधार लाने हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए कोई पहल की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के अकोला जिले में, एनएमडीएफसी द्वारा समर्थित वित्तीय सहायता के माध्यम से उद्यमिता, स्वरोजगार तथा आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विशेष रूप से ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के अकोला जिले में पात्र लाभार्थियों के लिए एनएमडीएफसी की योजनाओं की पहुंच का और अधिक विस्तार करने तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन समुदायों के पात्र लाभार्थियों की स्वरोजगार एवं आय-सृजन गतिविधियों हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) तथा चयनित बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के दौरान NMDFC योजनाओं के अंतर्गत संवितरित वित्तीय सहायता तथा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार एवं योजनावार विवरण **अनुबंध-क (i)** और **अनुबंध-क (ii)** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, ओडिशा सरकार ने ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम (OBCFDCC) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नामित किया था। बकाया ऋणों के संचय के कारण ओडिशा में NMDFC योजनाओं का कार्यान्वयन रोक दिया गया था। जुलाई, 2025 में बकाया ऋणों के निपटान के पश्चात राज्य सरकार ने केवल राज्य योजना को ही कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। तथापि, पुनर्वित्त प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान ओडिशा में केनरा बैंक/यूनियन बैंक के माध्यम से 05 लाभार्थियों को कुल 5.02 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तदनुसार, ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में उक्त अवधि के दौरान NMDFC की योजनाओं के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता संवितरित नहीं की गई है।

महाराष्ट्र राज्य में NMDFC की योजनाओं का कार्यान्वयन नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (MAAAVN) के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के दौरान अकोला जिले में संवितरित वित्तीय सहायता तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ख) और (ग): सरकार ने NMDFC की सावधि ऋण तथा सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को रियायती ऋण तक पहुंच का विस्तार करने तथा ऋण प्रदायगी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं:

i. NMDFC ने क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत एक नई आय श्रेणी प्रारंभ की है, जिसके तहत वार्षिक 8 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है, जिससे योजना का दायरा विस्तृत हुआ है।

ii. वर्ष 2024 में क्रेडिट लाइन-1 के लिए पारिवारिक आय की पात्रता सीमा को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया, जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष थी।

iii. ऋण सीमाओं में वृद्धि की गई है: सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए लाख कर दी गई है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य की ऋण सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी गई है; शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत देश में अध्ययन हेतु ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा विदेश में अध्ययन हेतु 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।

iv. क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत आर्थिक परिस्थिति के आधार पर विभेदित ब्याज दरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें सावधि ऋण एवं सूक्ष्म वित्त योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों को ब्याज दर में 2 प्रतिशत तक तथा शिक्षा ऋण योजना में 3 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान की जाती है।

v. NMDFC ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (SCA) प्रभावी नहीं हैं अथवा कार्यात्मक नहीं हैं, वहां योजनाओं के संचालन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (केनरा बैंक, इंडियन बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पंजाब ग्रामीण बैंक) के साथ साझेदारी की है, जिससे लाभार्थियों को व्यापक एवं निरंतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।

vi. मंत्रालय, NMDFC के माध्यम से राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के बुनियादी ढांचे एवं क्षमता को सुदृढ़ करने, ऋण वसूली में सुधार लाने तथा पात्र लाभार्थियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता है।

vii. ऋण राशि के सीधे संवितरण के लिए आधार से जुड़े तथा KYC-अनुपालक बैंक खातों का उपयोग किया जाता है, जिससे पारदर्शिता, समयबद्ध प्रदायगी तथा बिचौलियों की भूमिका में कमी सुनिश्चित होती है।

viii. अनिवार्य बीमा, लाभार्थियों तथा उनकी वित्तपोषित परिसंपत्तियों को अप्रत्याशित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

ix. ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसके तहत अब निवास, धर्म, आय एवं शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों के लिए स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता है जो ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' की अवधारणा के अनुरूप है तथा लाभार्थियों के लिए ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाती है।

उपर्युक्त उपायों ने NMDFC की योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए समावेशिता, ऋण सुविधाओं तक पहुंच की सुगमता तथा वित्तीय सुरक्षा को सामूहिक रूप से सुदृढ़ किया गया है।

(घ): NMDFC, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सावधि ऋण एवं सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अंतर्गत रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करके अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच उद्यमिता, स्वरोजगार तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित संवर्धित वित्तीय सहायता तथा लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2023–24	765.45	1,84,863
2024–25	860.43	2,00,279
2025–26	900.11	2,07,006

जहां तक ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, NMDFC की योजनाओं के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता संवितरित नहीं की गई है, क्योंकि ओडिशा सरकार वर्तमान में केवल राज्य योजनाओं का ही कार्यान्वयन कर

रही है। तथापि, पुनर्वित्त प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान केनरा बैंक तथा यूनियन बैंक द्वारा ओडिशा में 05 लाभार्थियों को कुल 5.02 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जहां तक महाराष्ट्र के अकोला जिले का संबंध है, NMDFC की योजनाओं के अंतर्गत संवितरित वित्तीय सहायता तथा लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ङ): NMDFC ने अपनी वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच का विस्तार करने तथा उन्हें अधिक सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय लागू किए हैं:

(i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आय पात्रता मानदंडों में वृद्धि की गई है तथा ऋण सीमाओं को बढ़ाया गया है।

(ii) रियायती ब्याज दरों की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिला लाभार्थियों के लिए विशेष ब्याज रियायतें प्रदान की जाती हैं।

(iii) उन क्षेत्रों में, जहां राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए) निष्क्रिय हैं, योजनाओं के संचालन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ साझेदारी की गई है।

(iv) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के बुनियादी ढांचे एवं क्षमता को सुदृढ़ करने, योजना कार्यान्वयन एवं ऋण वसूली में सुधार लाने तथा जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(v) लाभार्थियों को ऋण राशि के सीधे संवितरण हेतु आधार से जुड़े तथा केवाईसी-अनुपालक बैंक खातों की व्यवस्था लागू की गई है।

(vi) स्व-सत्यापित दस्तावेजों को स्वीकार कर आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

अनुबंध-क(i)

'एनएमडीएफसी के माध्यम से ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करना' विषय पर माननीय सांसद श्री बलभद्र माझी, श्री अनूप संजय धोत्रे और डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2025-26 के दौरान संवितरण

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सावधि ऋण संवितरण**	**लाभार्थी**	**सूक्ष्म वित्त संवितरण**	**लाभार्थी**	**कुल संवितरण**	**कुल लाभार्थी**
1	चंडीगढ़	0.03	2	–	–	0.03	2
2	गोवा	0.14	9	–	–	0.14	9
3	हरियाणा	3.84	257	–	–	3.84	257
4	हिमाचल प्रदेश	7.76	517	–	–	7.76	517
5	जम्मू एवं कश्मीर	31.13	2,075	–	–	31.13	2,075
6	केरल	202.40	13,493	118.75	47,500	321.15	60,993
7	लद्दाख	4.18	279	–	–	4.18	279
8	महाराष्ट्र	15.25	1,017	–	–	15.25	1,017
9	मेघालय	0.45	30	–	–	0.45	30
10	मिजोरम	2.50	166	–	–	2.50	166
11	पंजाब	13.19	904	–	–	13.19	904
12	तमिलनाडु	26.25	1,750	41.25	16,500	67.50	18,250
13	त्रिपुरा	0.60	40	–	–	0.60	40
14	पश्चिम बंगाल	113.65	7,576	276.25	1,10,500	389.90	1,18,076
15	इंडियन बैंक (अखिल भारतीय)	–	–	9.06	1,255	9.06	1,255
16	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अखिल भारतीय)	9.00	281	–	–	9.00	281
17	केनरा बैंक (अखिल भारतीय)	24.43	2,855	–	–	24.43	2,855
कुल योग		**454.80**	**31,251**	**445.31**	**1,75,755**	**900.11**	**2,07,006**

अनुबंध-क(ii)

'एनएमडीएफसी के माध्यम से ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करना' विषय पर माननीय सांसद श्री बलभद्र माझी, श्री अनूप संजय धोत्रे और डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2026-27 के दौरान संवितरण

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सावधि ऋण संवितरण	लाभार्थी	सूक्ष्म वित्त संवितरण	लाभार्थी	कुल संवितरण	कुल लाभार्थी
1	गोवा	0.09	5	–	–	0.09	5
2	हरियाणा	2.32	155	–	–	2.32	155
3	हिमाचल प्रदेश	2.00	122	–	–	2.00	122
4	केरल	–	–	55.00	18,929	55.00	18,929
5	महाराष्ट्र	14.75	899	–	–	14.75	899
6	पंजाब	2.00	133	–	–	2.00	133
7	राजस्थान	3.00	183	–	–	3.00	183
8	त्रिपुरा	2.89	176	–	–	2.89	176
9	पश्चिम बंगाल	90.00	6,000	44.00	17,600	134.00	23,600
कुल योग		**117.05**	**7,673**	**99.00**	**36,529**	**216.05**	**44,202**

अनुबंध-ख

'एनएमडीएफसी के माध्यम से ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करना' विषय पर माननीय सांसद श्री बलभद्र माझी, श्री अनूप संजय धोत्रे और डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अकोला जिले में वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27 तक NMDFC ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण (30/06/2026 तक)								
(राशि लाख रुपए में)								
क्र. सं.	जिला	वर्ष	योजना का नाम				लाभार्थियों की संख्या	कुल संवितरित राशि
			सावधि ऋण		सूक्ष्म वित्त			
			लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि		
1	अकोला जिला	2024-25	36	93.9	5	0	0	93.9
2		2025-26	14	37.15	9	0	0	37.15
3		2026-27	3	8.00	0	0	0	8.00
कुल			**53**	**139.05**	**14**	**0**	**0**	**139.05**
